न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 20/2016

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

श्री गिरिश कुमार उम्र 52 वर्ष पुत्र दामोदर दयाल गोयल जाति गोयल निवासी पुरानी सिविल लाईन बारॉ **(मालिक एवं विक्रेता)** मेसर्स मॉ जगत प्रिया प्रोविजन स्टोर पुरानी सिविल लाईन बारॉ जिला बारॉ

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक (अप्राथी)

निर्णय दिनांक 14.11.2018

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.5.2015 को मेसर्स मॉ जगत प्रिया प्रोविजन स्टोर, पुरानी सिविल लाईन बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री गिरिश कुमार पुत्र श्री दामोदर दयाल गोयल **(मालिक एवं विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि वहां पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड नमक (परम)** 1 किलो के पोलि पेकिंग में 20 पैकिट विक्रय हेतु रखे हुये थे, जिसमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर उसमें से विक्रेता से **आयोडाईज्ड नमक (परम)** 1 किलो मात्रा के 4 पैकेट वास्ते नमूना जांच उपस्थित गवाहान के समक्ष खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को 60/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। नियमानुसार फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है। अप्रार्थी द्वारा आयोडाईज्ड नमक (परम) का क्रय बिल नही होना बताया गया।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे **आयोडाईज्ड नमक (परम)** 1 किलो मात्रा के 4 पैकेट को चार नमूना भाग मे कर, लेबल तैयार कर, प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एएच–510 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चारों नमूना भाग पर उपर से नीचे तक फेवीकोल से चिपकाये तथा धागे से बांधकर नियमानुसार चपड़ी से सील किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर स्वंय द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./2561/ Act/2015/2165 दिनांक 16.12.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किये गये, खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड नमक (परम)** 1 किलो पैकेट खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ। बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड नमक (परम)** 1 किलो पैकेट का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि प्रार्थी द्वारा इस्तगासे मे मद संख्या 1 लगायत 10 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है अस्वीकार है। उपरोक्त प्रकरण मे दिये गये नोटिस के तथ्य स्वीकार नही है अप्रार्थी निर्दोष है उक्त प्रकरण मे अप्रार्थी को झूठा फंसाया गया है। अप्रार्थी एक छोटी सी परचूनी की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है तथा अप्रार्थी थोक विक्रेताओं से किराने के सामान बेचने हेतु प्राप्त करता है तथा उस माल/सामान/वस्तु को ग्राहको को वैसी ही स्थिति मे विक्रय कर देता है जिस स्थिति मे थोक विक्रेता से प्राप्त करता है इस कारण मिलावट करने का तथ्य निराधार है। अप्रार्थी अशिक्षित कम पढा लिखा छोटा सा दुकानदार है जो कानून का जानकार नही है। अतः अप्रार्थी को दोषमुक्त फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच ली गयी, खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड नमक (परम)** 1 किलो पैकेट जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी को कुल 2,000/– अक्षरे दो हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)